

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-16012024-251360
SG-DL-E-16012024-251360असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]	दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 2024/पौष 25, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 385
No. 18]	DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 2024/PAUSHA 25, 1945	[N. C. T. D. No. 385

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 10 जनवरी, 2024

सं0फा0 13(167)/2022/क0सं0एवं भा0/3910.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 27/59—एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 18 जुलाई, 1974 की अधिसूचना सं0फा0 2(71)/73—एस.II द्वारा प्रकाशित इस सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'उर्दू अधिकारी' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों को कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, उर्दू अधिकारी भर्ती नियमावली, 2024 कहा जाए।
(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि:- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता:—वह व्यक्ति,

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; अथवा
- (ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. बचाव:—इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	उर्दू अधिकारी
2.	पदों की संख्या	:	01* (2024) * परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित, समूह-‘ख’
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर-7 (रुपये 44900-142400)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	30 वर्ष से अधिक न हो। टीप 1:— केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों व अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय। टीप 2:— आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य:— 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री स्तर पर ऐच्छिक विषय के रूप में अंग्रेजी अथवा हिंदी के साथ उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि। अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से डिग्री स्तर पर ऐच्छिक विषय के रूप में उर्दू सहित फ़ारसी/अंग्रेजी/हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि। 2. सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों/निगमों/विश्वविद्यालयों अथवा अनुसंधान संस्थानों में तकनीकी वैज्ञानिक साहित्य का अधिमानतः उर्दू में शब्दावली संबंधी कार्य तथा/अथवा अंग्रेजी/हिंदी से उर्दू में अथवा विलोमतः अनुवाद कार्य का 3 वर्ष का अनुभव। वांछनीय : तकनीकी वैज्ञानिक साहित्य का अंग्रेजी/हिंदी से उर्दू में अथवा विलोमतः अनुवाद कार्य का एक वर्ष का अनुभव। टीप 1: अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं। टीप 2: यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा

		आयोग के अभिमत से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है/हैं।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	: आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	: दो वर्ष सीधी भर्ती के लिए
10.	भर्ती की पद्धति	: सीधी भर्ती द्वारा। टीप : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या दीर्घकालिक रुग्णता या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष की अवधि या अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियां केन्द्र सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगी। (क) (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) कॉलम 7 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले।
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	: लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है।	: समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति : 1. वित्त आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. प्रशासनिक सचिव, कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (सा0प्रशा0वि0), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य टीप:—यदि विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से अधिसूचित अध्यक्ष कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश से तथा उनके नाम पर,

चोखा राम गर्ग, सचिव

DEPARTMENT OF ART, CULTURE AND LANGUAGES

NOTIFICATION

Delhi, the 10th January, 2024

No. F. 13(167)/2022/ACL/3910.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of the notification of this Government, published vide notification No. F. 2(71)/73-S.II dated 18th July, 1974 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Urdu Officer' in the Department of Art, Culture & Languages, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short Title and Commencement.

(1) These rules may be called the Department of Art, Culture & Languages, Urdu Officer Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, its classification and level in pay matrix.

The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

4. Disqualifications.

No persons, -

(a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

1.	<i>Name of Post</i>	Urdu Officer
2.	<i>Number of Posts</i>	01* (2024) * Subject to variation dependent on workload.
3.	<i>Classification</i>	General Central Service Non Ministerial, Gazetted, Group, B
4.	<i>Pay Level in the Pay Matrix</i>	Level - 7 (Rs. 44900 - 142400)
5.	<i>Whether Selection Post / Non-Selection Post.</i>	Not Applicable
6.	<i>Age limits for Direct Recruits.</i>	Not Exceeding 30 Years. Note 1: Relaxable for Government Servant up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the UPSC.
7.	<i>Educational and other qualification required for direct recruits.</i>	Essential: 1. Masters Degree in Urdu with English or Hindi as an elective subject at Degree level from a recognized University or Institute. OR Masters Degree in Persian/ English/ Hindi with Urdu as an elective subject at Degree level from a recognized University or Institute. 2. 3 years' experience of terminological work in Urdu and /or translation work from English/Hindi to Urdu or vice-versa preferably of technical scientific literature in Government/PSUs/Autonomous Bodies/ Corporations/ Universities or Research Institutions. Desirable: One year experience of translation work from

		English/Hindi to Urdu or vice-versa of technical scientific literature. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC/ Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.
8.	<i>Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees.</i>	Age - Not Applicable. EQ – Not Applicable.
9.	<i>Period of Probation if any.</i>	Two years for direct recruits.
10.	<i>Method of Recruitment.</i>	By Direct Recruitment. Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col.7.
11.	<i>In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.</i>	Not Applicable.
12.	<i>If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.</i>	Group-‘B’ Departmental Confirmation Committee consisting of : 1. Financial Commissioner, Government of NCT of Delhi : Chairperson 2. Administrative Secretary of the Department of Art Culture & Languages, Government of National Capital Territory of Delhi : Member 3. Special/Additional Secretary (GAD), Government of National Capital Territory of Delhi: Member Note:- Senior most Member of the Departmental Promotion Committee shall act as Chairperson in case notified Chairperson happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee.
13.	<i>Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.</i>	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
CHOKHA RAM GARG, Secy.